

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10170/6366

दिनांक :- 14.12.2020

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री चिराग जोशी [लिंक न. 10170] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर - [394] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

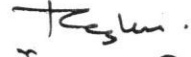
दिनांक 13/12/2017 से 15/12/2017 तक 3 दिवस (निरिक्ता प्रकाश पत्र के आधार पर)

दिनांक 31/07/2018 से 03/08/2018 तक 4 दिवस

दिनांक 27/09/2018 से 06/12/2018 तक 71 दिवस

कुल 78 दिवस

उक्त कुल 78 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री चिराग जोशी की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10170/6366

दिनांक :- 14.12.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर
2. कोषाधिकारी उदयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री चिराग जोशी [10170] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)